बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

पत्रांक– 10 नि०/जै०चि०अ०प्र० (प०पा०) 02/2020 ....899(नि0).... दिनांक– ....27/02..../2026

राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत पशुपालन निदेशालय, बिहार के अधीनस्थ पशु चिकित्सालयों/औषधालयों में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर होने वाले व्यय को वहन करने की योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "कार्यान्वयन अनुदेश

विभागीय स्वीकृति आदेश ज्ञापांक–6 एस० एस० (6) 13/2019–2862 दिनांक–26.06.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रूपये 289.7977 लाख (दो करोड़ नवासी लाख उनासी हजार सात सौ सत्तर रूपये) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत पशुपालन निदेशालय, बिहार के अधीनस्थ पशु चिकित्सालयों/औषधालयों में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर होने वाले व्यय को वहन करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1– उद्देश्य :–

जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 (Bio–Medical Waste Management Rules, 2016) उन सभी व्यक्तियों पर लागू है जो किसी भी रूप में जीव चिकित्सा अपशिष्ट के जनन, भंडारण, संग्रहण, परिवहन, व्ययन, हस्तन, उपचार एवं निपटान का कार्य करते हैं एवं इस प्रकार से जनित अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान किया जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

2– योजना के मुख्य बिन्दु :–

(i) जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली नैदानिक प्रतिष्ठान (Clinical Establishments), अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान (Research or Educational Institutions), स्वास्थ्य शिविर (Health Camps), डिसपेन्सरी (Dispensaries), पशु चिकित्सा संस्थान (Veterinary Institutions), टीकाकरण शिविर (Vaccination Camps), पशु गृह (Animal Houses) एवं पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला (Pathological Labs) पर लागू है।

(ii) उपरोक्त सभी संस्थानों को जीव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 (Bio–Medical Wastes Management Rules, 2016) के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण (Segregation) सुनिश्चित कर सामूहिक जीव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र (Common Bio–Medical Waste Treatment Facility) के माध्यम से निपटान (Disposal) कराना आवश्यक है।

(iii) जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के आलोक में बिहार राज्य में इसे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के मार्गदर्शन में लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य

विभाग, बिहार के अन्तर्गत संस्थानों में इसे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

(iv) उपरोक्त के आलोक में पशुपालन निदेशालय के अन्तर्गत सभी पशु चिकित्सालयों/ औषधालयों जिनके द्वारा जीव–चिकित्सा अपशिष्ट जनित की जाती है, में उनके द्वारा उक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। उक्त नियमावली के तहत जीव–चिकित्सा अपशिष्टों का विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण सुनिश्चित कर सामूहिक जीव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र के माध्यम से निपटान किया जाना है।

(v) वर्तमान में राज्य में चार सामूहिक जीव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र संचालित हैं, जिनसे राज्य के अलग–अलग जिलों को सम्बद्ध किया गया है। संबंधित जिलों में अवस्थित संस्थानों से जनित हो रहे जीव–चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान उक्त जिले से सम्बद्ध सामूहिक जीव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा। जिसपर सामूहिक जीव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार केन्द्रों की विवरणी निम्नवत है :–

क्र० सं०	सामूहिक जीव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र (CBWTF) का नाम	पता	सम्बद्ध जिला का नाम
1	मे० सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।	मुंगेर, बेगुसराय जमुई, खगड़िया, लखीसराय बाँका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं किशनगंज।
2	मे० मेडिकेयर इन्वायरमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	ए–19, फेज–II, बेला इन्डस्ट्रियल एरिया, मुजफ्फरपुर।	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल।
3	मे० संगम मेडिसर्व प्राईवेट लिमिटेड	इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा, पटना।	पटना, भोजपुर एवं रोहतास। नालन्दा, बक्सर एवं कैमूर।
4	मे० सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल गया।	अरवल, औरंगाबाद, गया जी, जहानाबाद, नवादा एवं शेखुपरा।

3– राशि का व्यय :–

(i) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार होंगे।

	से उत्पन्न अपशिष्ट सहित प्रयोगात्मक पशु मृत शरीर, शरीर के अवयव, अंग, ऊतक।		
	(ग) **ठोस अपशिष्ट :** रक्त शारीरिक स्त्राव से युक्त मदें जैसे, पट्टी, प्लास्टर, कास्ट, कपड़े की झाड़ने और अवशेष या निष्प्रयोजन रक्त और रक्त घटकों से भरी थैलियां।	गैर–क्लोरीनीकृत पीले रंग की प्लास्टिक की थैलियां अथवा आधान	भस्मन या प्लाज्मा पाइरोलाइसिस या गहरा दबाना। उपर्युक्त सुविधाओं की अनुपस्थिति में, ऑटोक्लेविंग अथवा माइक्रो–वेविंग/हाइड्रोक्लेविंग के बाद श्रेडिंग अथया म्यूटिलेशन अथवा स्टेराइलिजेशन और श्रेडिंग। शोधित अपशिष्ट को ऊर्जा पुनः प्राप्ति हेतु भेजा जायेगा।
	(घ) **अवसित या व्यक्त दवाइयाँ :** औषधीय अपशिष्ट जैसे कि एंटिबायोटिक्स साइटीटॉक्सिक औषधियां जिसमें शीशे के साथ साइटोटॉक्सिक औषधियों से संदूषित सभी मदें, प्लास्टिक एम्पूल, गोलियां आदि शामिल है।	गैर–क्लोरीनीकृत पीले रंग की प्लास्टिक की थैलियां अथवा आधान	अवसित साइटोटॉक्सिक दवाइयां और साइटोटॉक्सिक दवाइयों से सदूषित दवाइयां >1200 डिग्री से. तापमान पर भस्म करने के लिए विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता को वापस कर दी जाएं या >1200 डिग्री से. तापमान पर भस्म करने के लिए साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा या परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार भंडारण और निपटान सुविधा को भेज दी जाएं या >1200 डिग्री से. तापमान एनकेप्सुलेशन या प्लाज्मा पाइरोलाइसिस किया जाए। अन्य सभी अवसित दवाइयां या तो विनिर्माता को वापस भेज दी जाएं या भस्म करके निपटान कर दिया जाए।
	(ङ) **रासायनिक अपशिष्ट :** जैव–विज्ञान संबंधी मदों के उत्पादन में उपयोग में लाए गए या व्यक्त विसंक्रामकों के लिए उपयोग में लाए गए रसायन।	गैर–क्लारीनीकृत पीले रंग की प्लास्टिक की थैलियां या आधान	परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा में भस्मीकरण या प्लाज्मा पाइरोलासिस या एनकेप्सुलेशन द्वारा निपटान किया जाए।

(ii) चार विभिन्न रंग के डब्बों (Bin)– पीला, लाल, नीला एवं सफेद। डब्बों का क्रय, पशु चिकित्सालय निबंधन मद में व्यय की गई राशि, सम्बद्ध सामुहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र के लिए निर्धारित राशि एवं अन्यान्य व्यय हेतु कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोग भुगतान हेतु किया जायेगा। जबकि प्लास्टिक बैग (Non Chlorinated Bar Coded) का क्रय सामग्री एवं पूर्तियों मद में उपलब्ध करायी गयी राशि से किया जायेगा।

(iii) विगत वर्ष में स्वीकृत योजना के तहत उपलब्ध कराये गये आवंटन से जिन जिलों में डब्बा (Bin) एवं Non Chlorinated Bar Coded पॉलीथीन का क्रय कर लिया गया है. उन जिलों में आवश्यकतानुसार ही डब्बा (Bin) एवं Non Chlorinated Bar Coded पॉलीथीन का क्रय किया जायेगा। डब्बा (Bin) एवं Non Chlorinated Bar Coded पॉलीथीन का उपयोग केवल जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हस्तन, उपचार एवं निपटान में ही किया जायेगा।

(iv) जिला पशुपालन पदाधिकारी पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/संस्थानों को जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र के द्वारा प्रदान की गई सेवा से संतुष्टि के उपरांत परिशिष्ट–1 के अनुरूप नियमानुकुल भुगतान करेंगे।

4– <u>पशु चिकित्सालय स्तर पर दायित्व :–</u>

(i) प्रत्येक पशु चिकित्सालय के प्रभारी पदाधिकारी/कर्मियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जीव चिकित्सा अपशिस्ट को पृथक्कृत करते हुए विभिन्न रंग के डब्बे में भंडारित किया जायेगा, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

श्रेणी	अपशिष्ट का प्रकार	प्रयोग की जाने वाली थैली/आधान का प्रकार	उपचार और निपटान विकल्प
(1)	(2)	(3)	(4)
पीला	(क) **मानवीय शारीरिक अपशिष्ट** : मानवीय ऊतक अंग, शरीर के अवयव जीवनक्षम अवधि से कम के भ्रूण (समय–समय पर संशोधित गर्भ या चिकित्सा समापन अधिनियम, 1971 के अनुसार)	गैर–क्लोरीनीकृत पीले रंग की प्लास्टिक की थैलियां अथवा आधान	भस्मन या प्लाज्मा पाइरोलाइसिस या गहरा दबाना
	(ख) **पशु शारीरिक अपशिष्ट :** पशु चिकित्सालयों या महाविद्यालयों अथवा पशु गृहों		

	(च) **रासायनिक द्रव अपशिष्ट:** जीव विज्ञान संबंधी मदों के उत्पादन या अतिक्रांत विसंक्रामकों के लिए उपयोग में लाए जाने के कारण द्रव अपशिष्ट सिल्वर एक्स–रे फिल्म विकसित करने वाला द्रव, निष्प्रयोजन फोरमेलिन्, संक्रमित स्त्राव, एस्पाइरेटेड शरीर द्रव, प्रयोगशालाओं, फर्श की सफाई, धुलाई हाउस कीपिंग और विसंक्रमण कार्यकलापों से निकलने वाले द्रव।	बहिःस्त्राव शोधन प्रणाली में जाने वाली अलग संग्रहण प्रणाली	रिकवरी के बाद रासायनिक द्रव अपशिष्ट को अन्य जल में मिश्रित होने से पहले पूर्व–उपचारित किया जाएगा। संयुक्त निस्सरण अनुसूचि–III में दिए गए निस्सरण सन्नियमों के अनुरूप होगा।
	(छ) रक्त अथवा शरीरिक द्रव से संदूषित फेंके गए लीनेन्, बिस्तर	गैर–क्लोरीनीकृत पीली प्लास्टिक की थैलियां या उपयुक्त पैकिंग सामग्री	गैर–क्लोरीनीकृत रासायनिक विसंक्रमण के बाद भस्मन या प्लाज्मा पाइरोलाइसिस या एनर्जी रिकवरी द्वारा। उपर्युक्त सुविधाओं की अनुपस्थिति में श्रेडिंग अथवा म्युटिलेशन अथवा स्टेराइलिजेशन तथा श्रेडिंग का मिश्रण/उपचारित अपशिष्ट को कर्जा प्राप्ति अथवा भस्मन अथवा प्लाएमा पाइरोलाइसिस के लिए भेजा जाए।
	(ज) सूक्ष्म जैविकी, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य क्लीनिकल प्रयोगशाला अपशिष्ट :– प्रयोगशाला संवर्धों, सूक्ष्म जीवों के संग्रह या नमूने, सजीव या अनुकूल टीके, अनुसंधान और औद्योगिक प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त मानवीय और पशु कोशिका संवर्धो, जैविकों, अवशेष जीवविषों, संबंधों हेतु प्रयुक्त पात्रों और यंत्रों का उत्पादन।	ऑटोक्लेव सुरक्षित प्लास्टिक की थैलियां या आधान	इसके बाद भस्मन के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार स्थल पर गैर क्लोरीनीकृत रसायनों से पूर्व उपचारित अथवा स्टेरेलाइज।

लाल	**संदूषित अपशिष्ट (पुनर्चक्रण योग्य) :** (क) ट्यूबिंग्स, बोतलों, इंद्रावीनस ट्यूबों और सेटों, कैथेटरों, मूत्र की थैलियों, सिरिजों (बिना सूई वाला और सूई लगी सिरिंज तथा वैक्युटेनरों, जिनकी सूई कटी हो और दस्तानों) जैसी निपटान योग्य मदों से उत्पन्न अपशिष्ट।	लाल रंग की गैर–करोरीनीकृत प्लास्टिक लाल थैलियां या आधान	ऑटोक्लेविंग या माईक्रोवेविंग /हाइड्रोक्लेविंग के पश्चात श्रेडिंग या म्युटिलेशन या श्रेडिंग और विसंक्रमण का संयोजन। उपचारित अपशिष्ट रजिस्ट्रीकृत या प्राधिकृत पुनर्चक्रको को या एनर्जी रिकवरी के लिए या प्लास्टिक डीजल या ईधन तेल या सड़क बनाने के लिए जो भी संभव हो भेजा जाए। प्लास्टिक अपशिष्ट भू–भरण स्थलों पर नहीं भेजना चाहिए।
सफेद	**धातुओं सहित नॉकदार अपशिष्ट :** सूइयां, सूइयां लगी सिरिजें, सूई की नोक के कटर या बर्नर से निकली सूइयां, स्कालपेल्प, ब्लेड या कोई अन्य संदूषित नोकदार वस्तु जो वेधन और कर्तन का कारण बन सकती है। इसमें प्रयुक्त, निष्प्रयोजन और संदूषित नोकदार धातु की वस्तुएं शामिल हैं।	पंक्चर प्रूफ, लीक प्रूफ, टेंपर प्रूफ आधान	ऑटोक्लेविंग या शुष्क ऊष्मा विसंक्रमण उसके पश्चात धातु के कंटेनर या सीमेंट कंक्रीट में श्रेडिंग या म्युटिलेशन या एनकेप्सुलेशन, श्रेडिंग कम ऑटोक्लेडिंग का संयोजन, और अंतिम निपटान के लिए लोहे की संधानशालाओं (जिनके पास राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के प्रचालन की सहमति है) या स्वच्छता भू–भरण स्थलों या नामोदिष्ट कंक्रीट अपशिष्ट शार्प पिट के लिए भेज दिया जाए।
नीला	**(क) कांच के बर्तन :** टूटा हुआ त्यक्त या संदूषित कांच, जिसमें दवाई की शीशियां और सम्पूल्स शामिल है परन्तु इसमें साइटोटॉक्सिक अपशिष्ट से संदूषित वस्तुएं शामिल नहीं है।	नीले रंग की मार्किंग बाले गत्ते के बक्से	विसंक्रमण (डिटर्जेंट और सोडियम हाइपोक्लोराइट शोधन के साथ साफ करने के बाद डुबा कर धुलाई किया गया कांच का अपशिष्ट) या ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग या हाइड्रोक्लेविंग के जरिए और उसके पुनः चक्रण के लिए भेजें।
	(ख) धातु की बॉडी वाले इम्प्लांट	नीले रंग की मार्किंग वाले गत्ते के बक्से	

(ii) जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र को अपने क्षेत्रान्तर्गत पशु चिकित्सालयों/ औषधालयों/संस्थान में की गई सेवा एवं कार्यों की संपुष्टि प्रतिदिन की QR Report से करना है। तकनीकी खराबी की स्थिति में यह कार्य Attendance sheet के आधार पर किया जा सकता है। पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/संस्थानों के नियंत्री पदाधिकारी /भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी केन्द्र के वाहन द्वारा अपशिष्ट उठाव कार्य से संबंधित विवरणी का संधारण पंजी में करेंगे।

(iii) QR code पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/संस्थानों के अन्दर लगाया जायेगा।

(iv) दो लगातार दिन (लगातार 48 घंटे) जिसमें केन्द्रों से उठाव नही किये जाने (रविवार एवं सामान्य अवकाश को छोड़कर) इस परिस्थिति में वह दो लगातार दिन अनुपस्थित में गिनती की जायेगी। इस अनुपस्थिति में अवधि का देय राशि काटकर ही मासिक भुगतान किया जायेगा।

(iv) पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/संस्थानों के नियंत्री पदाधिकारी संधारित पंजी के आधार पर केन्द्र द्वारा अपशिष्टों का उठाव केन्द्र के वाहन से किये जाने के संबंध में प्रत्येक पक्ष के अन्त में एवं मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के अन्त में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को **प्रपत्र–1** में उपलब्ध करायेंगे।

(v) जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सम्बद्ध केन्द्र द्वारा अपने वाहन से अपशिष्ट उठाव किये जाने का विपत्र को माह समाप्ति के उपरान्त संबंधित पशु चिकित्सालय /औषधालय/संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करेंगे जिसे संबंधित प्रभारी पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात् कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी को विपत्र का भुगतान किये जाने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(vi) पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/संस्थानों के नियंत्री पदाधिकारी जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम–13 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष का माह जनवरी से दिसम्बर तक का आगामी वर्ष 30 जून के पहले फार्म–4 में वार्षिक रिपोर्ट कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

5– जिला स्तर पर दायित्वः–

(i) इस योजना के जिला स्तर पर अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/कार्यान्वयन की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की होगी।

(ii) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उठाव हेतु वाहन का रूट चार्ट एवं पशु चिकित्सालय वार समय सारणी का निर्धारण जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं संबंधित एजेन्सी के प्रतिनिधि के साथ समन्वय स्थापित करते हुए किया जायेगा।

(iii) इस योजना के जिलास्तरीय नोडल पदाधिकारी के रूप में संबंधित जिले के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त)/सहायक कुक्कुट पदाधिकारी रहेगें।

(iv) पशुपालन निदेशालय अन्तर्गत सभी पशु चिकित्सालयों/औषद्यालयों/संस्थानों में जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी/संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिये गये निवेदन के आलोक में संबंधित जिला के जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों के माध्यम से जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हस्तन, उपचार एवं निपटान किया जायेगा।

(v) जिला पशुपालन पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/संस्थानों से **प्रपत्र–1** में प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित कर **प्रपत्र–2** में संधारित करते हुए संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन एवं पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे। भुगतान की गई राशि का भी उल्लेख **प्रपत्र–2** में करेंगे।

(vi) अपशिष्ट उठाव कार्य का एजेन्सी द्वारा समर्पित विपत्रों का संबंधित पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सत्यापन एवं अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त **प्रपत्र–1** के आधार पर सम्पुष्टि तथा एजेन्सी के कार्यकलाप से संतुष्ट होने के उपरान्त अगले माह के प्रथम सप्ताह में जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा।

(vii) जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों को अपने कार्यों का भुगतान प्रतिमाह एकरारनामा में उल्लेखित शर्तों के अधीन निर्धारित दर पर किया जायेगा। समर्पित विपत्र के भुगतान के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का सेवाकर या अन्य भुगतान देय नहीं होगा।

(viii) किसी अवधि में अनाधिकृत रूप से केन्द्रों से उठाव नही करने की स्थिति में संबंधित जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों को भुगतान किये जाने वाली राशि से दोगुनी राशि की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

(ix) पशुपालन निदेशालय के नियंत्रणाधीन सभी पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/संस्थानों में जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों के द्वारा प्रदान किये जाने वाले सेवाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबद्ध जिला पशुपालन पदाधिकारी को एकरारनामा शर्तों के आलोक में 15 दिन पूर्व कारण बताते हुए भुगतान रोकने का पूर्ण अधिकार होगा।

(x) पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/संस्थानों के नियंत्री पदाधिकारी जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम–13 के अंतर्गत प्राप्त **फॉर्म–IV** में वार्षिक रिपोर्ट (माह जनवरी–दिसम्बर तक) को संकलित कर आगामी 30 जून तक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार, पटना को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेगें।

6– सम्बद्ध एजेन्सी का दायित्व

(i) विभागीय चिकित्सालयों/औषधालयों/संस्थानों में जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट का उठाव सम्बद्ध एजेन्सी के वाहन द्वारा प्रत्येक दिन किया जायेगा।

(ii) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उठाव हेतु वाहन का रूट चार्ट एवं पशु चिकित्सालय वार समय सारणी का निर्धारण जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं संबंधित एजेन्सी के प्रतिनिधि के साथ समन्वय स्थापित करते हुए किया जायेगा।

(iii) एकरारनामा के आलोक में जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र द्वारा अपनी कार्य कुशलता एवं क्षमता के तहत चिकित्सालयों/औषधालयों/संस्थानों में जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण एवं निष्पादन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद्, पटना के दिशा–निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

(iv) एकरारनामा के नियम एवं शर्तों के आलोक में संबंधित एजेन्सी के द्वारा जैव अपशिष्ट उठाव हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराना होगा।

(v) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देश का पालन करते हुए जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों द्वारा संबद्ध जिला के पशु चिकित्सालयों/औषद्यालयों/संस्थानों (जो पशुपालन निदेशालय, बिहार के नियंत्राणाधीन है) से जीव चिकित्सा अपशिष्ट का उठाव, परिवहन, निस्तारण तथा निष्पादन किया जायेगा। इस प्रक्रिया में उठाव, परिवहन, निस्तारण एवं निष्पादन में किसी प्रकार के दोष के लिए जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र जवाबदेह होंगे।

(vi) जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र संबंद्ध जिले के सभी पशु चिकित्सालयों/औषद्यालयों/पशु चिकित्सा पैथोलॉजिकल लैब एवं प्रक्षेत्र, जो पशुपालन निदेशालय, बिहार के नियंत्राणाधीन हैं, को अपनी दक्ष सेवा प्रदान करेगा।

(vii) जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के आलोक में सामाजिक, वातावरण एवं मनुष्य स्वास्थ्य की हानि यदि अपशिष्ट हस्तगन, निस्तारण, उठाव एवं प्रबंधन के दौरान होती है तो इसका सारा उत्तरदायित्व जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र का होगा।

(viii) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उठाव के कारण यदि किसी भी प्रकार की आर्थिक शास्ति बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा विभागीय संस्थान पर अधिरोपित की जाती है तो उसकी दोगुनी राशि शास्ति के रूप में जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र से वसूली की जायेगी अथवा वसूली के रूप में देय भुगतान की राशि से काट ली जायेगी।

(ix) जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र एकरारनामा के विरूद्ध अपने कार्य को उप–अनुबंध (Sub-contract) नहीं करेंगे।

(x) जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र एवं विभागीय संस्थान, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जारी नियमों का अनुपालन करते हुए एकरारनामा के आलोक में कार्य करेंगे।

(xi) जिला स्तर पर एजेंन्सी के नोडल पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी इत्यादि की सूचना सम्पर्क संख्या, ई–मेल के साथ संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनश्चित करेंगे।

7– निदेशालय स्तरीय कार्य :–

(i) इस योजना के निदेशालय स्तर पर अनुश्रवण/पर्यवेक्षण की जवाबदेही जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन योजना के प्रभारी पदाधिकारी की रहेगी।

(ii) योजना के प्रगति की मासिक समीक्षा पशुपालन निदेशालय स्तर पर की जायेगी।

(iii) किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिए प्रधान सचिव/सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(iv) किसी प्रकार का वैधानिक मामला जिला–पटना, बिहार के क्षेत्रान्तर्गत होगा।

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 10/नि० जै०चि०अ०प्र० (प० पा०) 02/2020 ....899(नि)..../दिनांक–...27/02/26.

प्रतिलिपि :– सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, योजना/बजट, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/सभी सामुहिक जीव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विभागीय आई० टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/02/26

निदेशक, पशुपालन।

परिशिष्ट–1

पशु चिकित्सालयों/औषधालयों में जनित हो रहे जीव–चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु संबंधित सामूहिक जीव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र को निम्नांकित विवरणी के अनुसार निर्धारित दर (प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में 6% की वार्षिक दर वृद्धि के आधार) पर भुगतान किया जाना है :–

क्र० सं०	सामूहिक जीव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र (CBWTF) का नाम	पता	सम्बद्ध जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 की दर (रूपये में) प्रतिमाह, प्रति पशु चिकित्सालय/औषधालय
1.	मे० सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।	मुंगेर, बेगुसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बाँका, भागलपुर, कटिहार, पूणियाँ, अररिया एवं किशनगंज	1631.00
2.	मे० मेडिकेयर इन्वायरमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	ए–19, फेज–II, बेला इन्डस्ट्रियल एरिया, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल।	1631.00
3.	मे० संगम मेडिसर्व प्राईवेट लिमिटेड	इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना।	पटना, भोजपुर एवं रोहतास।	1505.00
			नालन्दा, बक्सर एवं कैमूर।	1606.00
4.	मे० सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया जी।	अरवल, औरंगाबाद, गया जी, जहानाबाद, नवादा एवं शेखपुरा।	1631.00

परिशिष्ट–2

संबंधित सामग्रियों हेतु निम्नांकित विवरणी के अनुरूप राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

क्र० सं०	कार्य–मद	दर (रूपये में)
1.	चार अलग–अलग रंगों (पीला, लाल, सफेद/पारभासी एवं नीला) का डब्बा (Bin)	600/– प्रति डब्बा (2400/– प्रति संस्थान)
2.	प्लास्टिक बैग (Non-chlorinated plastic bags - Yellow/Red coloured)	650/– प्रति संस्थान प्रति माह (650 x 10 माह)
3.	सम्बद्ध सामुहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों के लिए निर्धारित राशि	रूपये 14.56 लाख प्रतिमाह (अनुलग्नक–1 के अनुसार तथा 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि) (14.56 x 10 माह)
4.	अन्यान्य व्यय	190/– प्रति संस्थान प्रतिमाह (190 x 10 माह x 1137)

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

प्रपत्र–1

पशु चिकित्सालय/औषधालय/संस्थान में अपशिष्टों के उठाव हेतु संबंधित जीव चिकित्सा अपशिष्ट केन्द्र के वाहन द्वारा किये गये कार्य का प्रतिवेदन :–

पशु चिकित्सालय/औषधालय/संस्थान का नाम :–..

प्रतिवेदित अवधि :– दिनांक ....से.......................................तक।

क्र० सं०	वर्त्तमान माह में वाहन द्वारा किये गये के कुल दिनों की संख्या	प्रतिवेदित अवधि में दो दिन लगातार छुट्टी की संख्या (रविवार एवं सामान्य अवकाश को छोड़कर)	अपशिष्ट सामग्री के परिवहन का भुगतान किये जाने योग्य कुल दिनों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ज्ञापांक :–../ दिनांक–..

प्रतिलिपि :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पशु चिकित्सालय/औषधालय/संस्थान
के नियंत्री पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर।

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 **ई-मेल: dirahd-bih@nic.in** **वेबसाइट: state.bihar.gov.in/ahd**

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

प्रपत्र–2

पशु चिकित्सालय/औषधालय/संस्थान में अपशिष्टों के उठाव हेतु संबंधित जीव चिकित्सा अपशिष्ट केन्द्र के वाहन द्वारा किये गये कार्य का प्रतिवेदन :–

जिला का नाम :–.....

प्रतिवेदित अवधि :– दिनांक .....**से**.....**तक।**

क्र० सं०	पशु चिकित्सालय/औषद्यालय /संस्थान का नाम	वर्त्तमान माह में वाहन द्वारा किये गये कार्य के कुल दिनों की संख्या	प्रतिवेदित अवधि में दो दिन लगातार छुट्टी की संख्या (रविवार एवं सामान्य अवकाश को छोड़कर)	अपशिष्ट सामग्री के परिवहन का भुगतान किये जाने योग्य कुल दिनों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

ज्ञापांक :–...../ दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, .../निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पशुपालन पदाधिकारी
.....।

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 ई-मेल: dirahd-bih@nic.in वेबसाइट: state.bihar.gov.in/ahd